

भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)भारत सरकार मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002



विज्ञापन सं - 02 (ScB)/2024/HRD

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जो कि भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धित प्रमाणन, सोना/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण करने, इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों हेतु उत्तरदायी है। बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण और प्रमाणन के लिए भी उत्तरदायी है।

बीआईएस विशिष्ट विषयों और वर्गों में वैज्ञानिक-'बी' के पदों के लिए प्रखर, गतिशील युवाओं को उत्कृष्ट किरयर अवसर प्रदान करता है। ये पद सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनस्तर 10 में हैं और इसके साथ इसमें भत्ते शामिल हैं। वर्तमान में नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करते समय वेतन लगभग ₹1,11,780/- होगा। महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तों के लिए अनुबंध-1 देखें।

1. **पदों की संख्या:** नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न शाखाओं में कुल रिक्तियों की संख्या **15** हैं:-

			बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के				
			लिए क्षैतिज आरक्षण				
शाखा	कुल	अनारक्षित	अ. पि. वर्ग	अनु. जा.	अनु. ज. जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	(बैकलॉग रिक्तियां सहित)
केमिस्ट्री	02	01	01	-	-	-	-
सिविल इंजीनियरिंग	06	02	02	01	-	01	01आईडी एंड एमआई/एमडी*
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	07	02	02	02	-	01	01आईडी एंड एमआई/एमडी
कुल	15	05	05	03	-	02	02

^{*}क्षैतिज आरक्षण आईडी एंड एमआई/एमडी श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, आईडी और एमआई/एमडी श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सीटों को विकलांगों की VI/HI श्रेणियों के बीच इंटरचेंज द्वारा भरा जाएगा।

संक्षिप्त रूप: अ .पि .वर्ग :अन्य पिछड़ा वर्ग; अनु.जा :अनुसूचित जाति; अनु .ज .जाति :अनुसूचित जनजाति; आईडी एंड एमआई - ऑटिज्म/ मानसिक मंदता/ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी/ मानसिक रोगी; एमडी - बहु निशाक्तता; HI - बिधर और श्रवण शक्ति में हास; VI - अंध और निम्न दृष्टि

सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

2. अनिवार्य योग्यता:

विषय	अनिवार्य शैक्षिणिक योग्यता	संबंधित गेट (GATE) विषय और इसके कोड
सिविल इंजीनियरिंग	 न्यूनतम 60% प्राप्तांक के साथ (अनु.जा, अनु. ज. जाति के लिए 50%) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या समकक्ष में स्नातक डिग्री। 	सिविल इंजीनियरिंग (सी ई)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	2) 2022/2023/2024 के (GATE)* परीक्षा के वैध अंक। 16.08.2024 (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख) तक GATE के अंक वैध होने चाहिए।	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ई ई)
केमिस्ट्री	 3) न्यूनतम 60% प्राप्तांक के साथ (अनु.जा, अनु. ज. जाति के लिए 50%) प्राकृतिक विज्ञान या समकक्ष (केवल केमिस्ट्री) में परास्नातक डिग्री। 4) 2022/2023/2024 के (GATE)* परीक्षा के वैध अंक। 16.08.2024 (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख) तक GATE के अंक वैध होने चाहिए। 	केमिस्ट्री (सी वाय)

^{*(}GATE)- इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा

अनिवार्य शैक्षिणिक योग्यता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिए अनुबंध 3 देखें।

3. <u>आयु सीमा</u>: आवेदन की अंतिम तारीख (16.08.2024) तक उम्मीदवार की आयु अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। अनु.जा/ अनु. ज. जाति /अ.पि.वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार होगी।

अनु.जा./अनु.ज.जाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष; बेंचमार्क दिव्यांग (अनारिक्षत) के लिए 10 वर्ष; बेंचमार्क दिव्यांग (अनु.जा./अनु.ज.जा.) के लिए 15 वर्ष; बेंचमार्क दिव्यांग (अ.पि.वर्ग) के लिए 13 वर्ष की छूट होगी। बीआईएस में कार्यरत विभागीय उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट

- (i) ऐसे सैन्य सेवा कर्मियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष (अनु.जा/अनु.ज.जाति हेतु आठ वर्ष) जो किसी दूसरे देश अथवा उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में युद्ध की स्थिति के दौरान ऑपरेशन में विकलांग हुए हों और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया हो।
- (ii) भूतर्पव सैनिक के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक जिसमें ऐसे कमीशन्ड अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं जिन्होंने 16.08.2024 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सैन्य सेवा की हो और जिन्हों सेवामुक्त कर दिया गया हो ;
 - (क) नियत कार्यकाल पूरा होने पर (ऐसे व्यक्तियों सिहत जिनका नियत कार्यकाल एक वर्ष के भीतर पूरा हो रहा हो) अन्यथा कदाचार अथवा असक्षमता के कारण बर्खास्त या सेवा से हटाने पर, अथवा
 - (ख) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक निशक्तता के कारण, अथवा
 - (ग) निशक्तता के कारण।

(iii) उन ईसीओ/एसएससीओ के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक जिन्होंने 16.08.2024 को सैन्य सेवा के पांच वर्ष के नियत कार्यकाल (assignment)का प्रारंभिक समय पूरा किया है और जिनका नियत कार्यकाल पांच वर्ष अधिक बढ़ा दिया गया तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो चयन होने पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे।

नोट I: भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगी जिनको भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा एवं पद में पुर्निनयुक्ति) नियम, 1979, समय-समय पर यथा संशोधित में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट II: पैरा(ii) व (iii)में आयु सीमा में छूट ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन्ड अधिकारियों पर लागू नहीं होगी जिनकों उनके आग्रह पर सेवामुक्त किया गया हो।

नोट III: आयु सीमा में छूट लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन, साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के बाद के किसी चरण में बीआईएस द्वारा यथा आवश्यक होने पर प्रमाणपत्र (त्रों) की प्रति देनी होगी।

- 4. चयन प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य पद्धित शामिल होगी:
 - क) GATE 2022, GATE 2023, GATE 2024 के स्कार के आधार पर लघु सूचीयन: GATE 2022, GATE 2023, GATE 2024 के यथा लागू स्कार के आधार पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जाएगी। वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची वैध गेट स्कार की मेरिट के क्रम में तैयार की जाएगी। बराबरी की स्थित में, उक्त गेट स्कार हेतु दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के लिए मेरिट में वरिष्ठता निम्नलिखित मापदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी:
 - (i) उच्च प्रतिशतता रखने वाले उम्मीदवार को मेरिट में वरिष्ठता दी जाएगी। निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रतिशत की गणना की जाएगी:
 - प्रतिशत = (संबंधित गेट पेपर में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या संबंधित गेट पेपर में उम्मीदवार की अखिल भारतीय रैंक)/संबंधित गेट पेपर में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या।
 - (ii) प्रतिशत में भी बराबर अंकों के मामले में, उम्मीदवार की आयु के आधार पर मेरिट में वरिष्ठता तय की जाएगी और आयु में बड़े उम्मीदवार को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी।
 - ख) वैयक्तिक साक्षात्कार: वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए केवल चयनित उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या संबंधित शाखा एवं वर्ग में रिक्तियों की संख्या का अनुपात भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर भर्ती) विनियम -2019 के अनुसार होगी। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् उम्मीदवारों को वैयक्तिक साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग के लिए अनुमित दी जाएगी। साक्षात्कार की तारीख, समय व स्थान की सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी। उक्त सूचना हमारे वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी होस्ट की जाएगी।
 - ग) अंतिम मेरिट सूची: शाखावार मेरिट के आधार पर यथानिर्धारित गेट स्कोर का अंकों पच्चासी प्रतिशत (85%) वेटेज देकर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 15 प्रतिशत (15%) वेटेज देकर प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों

को चयन किया जाएगा। यदि साक्षात्कार के बाद प्राप्त कुल अंकों में टाई होती है (GATE स्कोर + साक्षात्कार अंक), तो उम्मीदवारों को निम्नलिखित वरिष्ठता मानदंडों के आधार पर प्रस्थापित किया जाता है:

- i) मेरिट सूची में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अधिक अंक के साथ GATE स्कोर के आधार पर टाई को हल किया जा सकता है।
- ii) गेट स्कोर के अप्रत्याशित मामले में भी, उम्र के मानदंडों के आधार पर, मेरिट सूची में अधिक उम्र वाले आवेदक को वरियता दी जएगी।
- 5. <u>कैसे आवेदन करें</u>: उम्मीदवार बीआईएस की वेबसाइट <u>www.bis.gov.in</u>के माध्यम से 27.07.2024 से 16.08.2024 तक ऑनलाइन आवेदन करें। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य माध्यम/तरीके से जमा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 4 देखें।
- 6. आवेदन शुल्क : शून्य।
- 7. महत्त्वपूर्ण निर्देश : विवरण के लिए अनुबंध 5 देखें।

घोषणाएं : इस प्रक्रिया से संबंधित अन्य घोषणाएं/विवरण समय-समय पर केवल बीआईएस की वेबसाइट <u>www.bis.gov.in</u>पर प्रकाशित/उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जानकारी व अपडेट के लिए बीआईएस की वेबसाइट <u>www.bis.gov.in</u> का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

प्रमुख (एचआरडी)

नई दिल्ली

तारीख: 27.07.2024

अनुबंध 1 महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तें

- (i) प्रतिभूबंध-पत्र: प्रतियोगी परीक्षा द्वारा वैज्ञानिक-बी के पद पर नियुक्त उम्मीदवार को ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप पर ब्यूरो में न्यूनतम तीन वर्ष सेवा करने का प्रतिभू बंध-पत्र देना होगा। यदि वह नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व त्यागपत्र द्वारा अथवा बिना अनुमित के सेवा से अनुपिस्थित रहने पर सेवा छोड़ता है तो उसे अंतिम आहरित दर पर छ: माह की परिलब्धियों की प्रतिपूर्ति ब्यूरो को करनी होगी और यदि वह इससे कम अविध तक सेवा में रहा हो तो उसे आहरित पूरी राशि लौटानी होगी।
- (ii) परिवीक्षा: 2 वर्ष
- (iii) सेवा लाभ: छुट्टी/एलटीसी/चिकित्सा लाभ अनुमत है जिसमें वर्ष में 15 दिन छुट्टी भुनाना शामिल है।
- (iv) तैनाती: भारत में कहीं भी।
- (v) कैरियर की संभावनाएं: इस संगठन के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारी वर्तमान में 'संशोधित लचीली पूरक स्कीम' (मॉडीफाइड फ्लेक्सिबल कॉप्लिमेंटिंग स्कीम) जैसािक समय-समय पर संशोधित हो, के अंतर्गत आते हैं, और जो कि कार्यकारिता और मूल्यांकन पर आधारित पदोन्नित अथवा समय-समय पर यथा लागू विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों में क्रियान्वित है। अधिक जानकारी के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर भर्ती) विनियम-2019 देखें।

अनुबंध 2 आरक्षण से संबंधित सामान्य अनुदेश

- क) बेंचमार्क वाल दिव्यांगों की परिभाषा: 'बेंचमार्क दिव्यांगों वाले व्यक्ति' से अभ्रिप्राय है जहां मापन योग्य दिव्यांगता परिभाषित न की गई हो वहां व्यक्ति निर्धारित निःशक्तता का कम से कम चालीस प्रतिशत दिव्यांग हों और इसमें वे दिव्यांग भी शामिल हैं जहां मापन योग्य दिव्यांगता परिभाषित की गई है, जैसा कि प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- ख) तदनुसार, निम्नलिखित दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं:
- (i) दृष्टिहीनता और दृष्टि न्यूनता
- (ii) बधिर व सुनने में दिक्कत हो
- (iii) प्रमस्तिष्क पक्षाघात (cerebral palsy), कुष्ठ उपचारित (leprosy cured,) बौनापन (dwarfism), एसिड अटैक पीडित और मांसपेशीय दुर्विकास (muscular dystrophy) सिंहत गतिमान (locomotor) दिव्यांगता
- (iv) ऑटिज्म/ मानसिक मंदता/ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी/मानसिक रोगी/बहु निशक्तता
- (v) बिधर अंधता सहित उपरोक्त (i) एवं (iv) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहु निशक्तता।
- ग) इस प्रकार का लाभ लेने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय/प्रक्रिया के किसी चरण में अपने दावे की पुष्टि में दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 के अनुसार जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि निर्दिष्ट प्रारुप में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को अथवा उससे पूर्व जारी किया गया हो।
- घ) बेंचमार्क वाले दिव्यांग को आवश्यक्ता के अनुसार किसी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में कार्य करना होगा।
- ड) आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आर.), दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और उचित मानदंड लागू होंगे।
- च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) निम्नलिखित है:
- i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उप-आयुक्त/उप-कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक के नीचे नहीं)/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की रैंक से नीचे न हो
- (iv) क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो।
- अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र का प्रारुप प्रपत्र क के अनुसार हो और अपने दावे के समर्थन में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र का प्रारुप प्रपत्र ख और प्रपत्र ग के अनुसार हो। अपने दावे के समर्थन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत

किए जाने हेतु प्रमाणपत्र का प्रारुप **प्रपत्र घ** के अनुसार हो।इन वर्गों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय, केवल इन प्रारुपों में प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करना आवश्यक है और साक्षात्कार के समय में भी केवल इन प्रारुपों में मूल प्रमाणपत्र की कॉपी प्रस्तुत करना है।

- छ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) है: "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017" के अनुसार प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी होगा:
- (i) आवेदन में निवास स्थान के प्रमाण में उल्लिखित उम्मीदवार के निवास के जिले में ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक चिकित्सा प्राधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी; अथवा
- (ii) सरकारी अस्पताल में संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी जहां पर दिव्यांगता का इलाज किया जा रहा हो या इलाज चल रहा हो:

दिव्यांगता प्रमाणपत्र का प्रारूप "दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम, 2017" में लागू प्रपत्र के अनुसार हो।

ज) उपर्युक्त वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय, ठीक से केवल इन प्रारुपों में प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करना आवश्यक है और साक्षात्कार के समय भी केवल इन प्रारुपों में मूल प्रमाणपत्र की कॉपी प्रस्तुत करना है।

अनुबंध 3 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी सामान्य अनुदेश

क) समरूपी गेट(GATE) पेपर संबंधी विवरण और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिशानिर्देश नीचे दिए गए है:

विषय जिसके लिए	समरूपी गेट पेपर और	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की डिग्री से संबंधित दिशानिर्देश
रिक्तिया विज्ञापित की	उसके कोड	
गई		
सिविल	सिविल इंजीनियरिंग (सी ई)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की डिग्री "सिविल " इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में होनी
इंजीनियरिंग		चाहिए।
		दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, "सिविल" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी
		अनिवार्य योग्यता की डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की डिग्री " इलेक्ट्रिकल " इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में
	(ई ई)	होनी चाहिए।
		दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, " इलेक्ट्रिकल " इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी
		अनिवार्य योग्यता की डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
केमिस्ट्री	केमिस्ट्री (सी वाय)	प्रकृति विज्ञान में परास्नातक डिग्री या समकक्ष (केवल केमिस्ट्री विषय में)।
		दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, " केमिस्ट्री " अनिवार्य योग्यता की डिग्री में
		मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।

- ख) यदि अभ्यर्थी इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या इसके समकक्ष में अंतिम स्नातक की डिग्री में ग्रेड प्राप्त कर रहा है, तो उनका ग्रेड अपेक्षित प्रतिशत के बराबर होना चाहिए [अर्थात कुल 60% अंक (एससी/ एसटी अभ्यर्थियों के लिए 50%)]।
- ग) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव में की गई गणना में इंगित करना होगा। जहां सीजीपीए ओजीपीए /दिए गए है, वहां उसी को प्रतिशत में परिवर्तित करके उसे ऑनलाइन आवेदन में इंगित किया जाए। प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह साक्षात्कार के समय संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी किए गए विधिवत प्रतिशत को रूपांतरण सूत्र दें, इसमें विफल होने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- **E)** प्रतिशत की गणना :अभ्यर्थी को प्रतिशत सभी विषयों के सेमेस्टर (रों) / वर्षों के अंकों का प्रतिशत प्राप्तांक से विभाजित करके निकालना होगा या वह ऑनर्स वैकल्पिक /अति/रिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो ,।यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहां ऑनर्स के आधार पर केवल श्रेणी ग्रेड /दिए जाते हैं। प्रतिशत से आने वाले अंश को नजर अंदाज कर दिया जाएगा अर्थात, 59.99% को 60% से कम माना जाएगा और 49.99% को 50% से कम माना जाएगा |

- ङ) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बीआईएस में सेवारत विभागीय उम्मीदवारों को अलग से अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- च) सभी शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी विनियामक निकाय द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ बोर्ड से होनी चाहिए। परिणाम दिनांक 16.08.2024 (आवेदन की अंतिम तारीख) तक या उससे पहले का होनी चाहिए। पात्रता के लिए जो परीक्षा उत्तीर्ण की जाती है, वह तारीख मार्कशीट/प्रोविजनल प्रमाणपत्र पर प्रदर्शित होनी चाहिए।
- छ) एकाधिक आवेदनों को खारिज किया जा सकता है।

अनुबंध 4 आवेदन कैसे करें

आवेदन करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका/ प्रक्रियाऐं

- क. आवेदक का पंजीकरण।
- ख. आवेदन पत्र भरना, जिसमें दस्तावेज/प्रमाणपत्र/ गेट (GATE) स्कोर कार्ड /हस्ताक्षर/फोटो आदि अपलोड करना शामिल है।
- ग. भरे हुए आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन, घोषणा और आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करना।

उम्मीदवार दिनांक **27.07.2024 को 11:00 बजे से दिनांक 16.08.2024** को **23:59** बजे तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अन्य किसी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पंजीकरण से पूर्व ध्यान दिए जाने वाले महत्त्वपूर्ण बिन्द्

उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले निम्नलिखित की व्यवस्था करनी चाहिए:

- i) अपनी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन तथा सुनिश्चित करे कि अपने फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर दोनों ही आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।
- ii) निम्नलिखित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों को स्कैन करें : जन्म तिथि प्रमाण पत्र, GATE प्राप्तांक, पहचान प्रमाण, अनिवार्य अर्हता की डिग्री और अंक तालिका , उच्च/ अतिरिक्त अर्हता की डिग्री और अंक तालिका (यदि कोई हों तो), प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हों), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हों)
- iii) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हों जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रहना चाहिए। बीआईएस पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से साक्षात्कार का कॉल लेटर आदि भेजेगा।।

1. आवेदन प्रक्रिया (सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें)

क. आवेदक का पंजीकरण

- 1. उम्मीदवारों को BIS की वेबसाइट <u>www.bis.gov.in</u> पर जाकर 'कैरियर के अवसर' पर जाना होगा। 'भर्ती विज्ञापन / परिणाम' अनुभाग के अंतर्गत, वैज्ञानिक-बी की भर्ती के लिए विज्ञापन 'रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वैज्ञानिक-बी के पद पर भर्ती' शीर्षक के साथ उपलब्ध है। उम्मीदवार 'लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लिकेशन बाइ केंडिडैटस' विकल्प पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।
- 2. आवेदन (नए उम्मीदवार) पंजीकृत करने के लिए, "क्रिएट यौर BIS अकाउंट" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी आदि दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक आवेदन संख्या तैयार की जाएगी और स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवार को आवेदन संख्या नोट कर लेनी चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या को दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
- 3. उम्मीदवार, जो पहले से पंजीकृत हैं, वे अपना ईमेल आईडी/यूजर आईडी/मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन पत्र भरना शुरू कर सकते हैं।

ख. आवेदन पत्र भरना, जिसमें दस्तावेज/प्रमाणपत्र/ गेट (GATE) स्कोर कार्ड /हस्ताक्षर/फोटो आदि अपलोड करना शामिल है-

- 1. आवेदन पत्र में सभी विवरण उम्मीदवार द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए।
- 2. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पूरा नहीं कर पाता है, तो वह "सेव एण्ड नेक्सट" टैब चुन कर पहले से दर्ज डाटा को सेव कर सकता/ती है।
- 3. आवेदन में उम्मीदवार का नाम तथा उसके पिता/ पित आदि के नाम की सही वैसी ही वर्तनी होनी चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र/ पहचान प्रमाण / अंक तालिकाओं में दिखाई देता है। कोई भी परिवर्तन/ कांट-छांट पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उम्मीदवार ध्यान दें कि हिंदी भाषा में भरे जाने वाले फ़ील्ड ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) इनप्ट स्वीकार करते हैं।
- 4. उम्मीदवार आवेदन फार्म के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- 5. उम्मीदवार फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, GATE प्राप्तांक, पहचान प्रमाण, अनिवार्य अर्हता की डिग्री और अंक तालिका, उच्च / अतिरिक्त अर्हता की डिग्री और अंक तालिका (यदि हों तो), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हों), प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हों) को अपलोड कर सकते हैं।
- 6. उम्मीदवार के पहचान का सत्यापन करने के लिए निम्निलिखित में से कोई एक दस्तावेज़/पहचान पत्र स्वीकार्य है : आधार कार्ड / पासपोर्ट / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक /वैध्य विश्वविद्यालय या कॉलेज पहचान पत्र / सरकारी या सार्वजिनक उपकरण संगठन का कर्मचारी पहचान पत्र।

ग. भरे हुए आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन, घोषणा और आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करना

- 1. आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले संपूर्ण आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन व सत्यापन करने हेतु प्रीव्यू टैब पर क्लिक करें।
- 2. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और घोषणा की जांच करें। **'फाइनल सबमिट'** सबमिट केवल तभी करें जब यह सत्यापित और सुनिश्चित हो जाए कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं।
- 3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और स्वयं उनका सत्यापण करें, क्योंकि अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद में कोई भी सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा।

2) फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन करने ओर उन्हें अपलोड करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

फोटोग्राफ इमेज

- क. फोटोग्राफ कलर में अभी हाल ही में खीचा हुआ होना चाहिए।
- ख. पिक्चर रंगीन हो, इसके पीछे का बैक ग्राउंड हल्के रंग का, अधिमानत: सफेद रंग का हो।
- ग. फोटो लेते समय चेहरा तनाव रहित हो तथा सीधे कैमरे की ओर देखें।
- घ. यदि पिक्चर लेते समय धूप खिली हुई है, तो सूरज आपके पीछे हो अथवा आप छाया में खड़े हों, ताकि आपकी ऑंखें अधखुली न रहें और कोई गहरी छाया फोटो पर न पड़े।
- ङ. यदि आप फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि 'रैड-आई'' न हो।
- च. यदि आप चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी ऑखें साफ दिखाई दें।

- छ. टोपी, हैट अथवा गहरे चश्मे पहन कर फोटो खिचवाना स्वीकार्य नहीं है। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक वस्त्र की अनुमित है, लेकिन इससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- ज. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 200KB से अधिक न हो।
- झ. यदि फोटो, फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं की गई है, तो उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।
- ञ. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित साइज की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

हस्ताक्षर (सिग्नेचर) इमेज:

- क. आवेदक को सफेद पेपर पर काले इंक पैन से साइन करने हैं।
- ख. हस्ताक्षर आवेदक को ही करने हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं।
- **ग**. साक्षात्कार के समय अटेंन्डेंस शीट पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मैच करने चाहिए। यदि हस्ताक्षर मैच नहीं करते हैं, तो उम्मीदवार को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है।
- घ. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 200KB से अधिक न हो।
- इ. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

अन्य दस्तावेज़

- क. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 1MB से अधिक न हो।
- ख. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- क) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर,जन्म प्रमाण पत्र, गेट(GATE) प्राप्तांक, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) / तात्कालिक प्रमाण पत्र और समेकित अंक तालिका , उच्चतर / अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र और समेकित अंक तालिका (यदि कोई हों तो), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) और पहचान पत्र को अपलोड करने के लिए अलग अलग लिंक होंगे।
- ख) संबंधित "अपलोड" लिंक पर क्लिक करें।
- ग) ब्राउज करें और उस लोकेशन को सैलेक्ट करें, जिसमें स्कैन किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेज़ सुरक्षित किए गए हैं।
- घ) क्लिक करके फाइल सैलेक्ट करें।
- ङ) 'अपलोड' बटन को क्लिक करें।

यदि फोटो और हस्ताक्षर सहित अपलोड किए गए कोई भी दस्तावेज अस्पष्ट हो, तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो को फोटो के स्थान पर अपलोड किया गया है, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर और सभी दस्तावेजों को उनके संबंधित स्थानों पर आवेदन में दिखाई देने के रूप में अपलोड किया गया है। यदि फोटो / हस्ताक्षर / गेट स्कोरकार्ड / शैक्षणिक प्रमाण पत्र / जन्म तिथि प्रमाण / पहचान प्रमाण सही ढंग से अपलोड नहीं किया गया है, तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अनुबंध 5 अन्य महत्त्वपूर्ण अनुदेश

- i. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ii. जो उम्मीदवार वर्तमान में केन्द्र सरकार राजय सरकार/अर्धसरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र/के उपक्रमों में कार्यरत् हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्रस्तुत करना होगा । हालांकि, यदि साक्षात्कार के समय एनओसी प्रस्तुत नहीं की जा सकी, तो इसके लिए एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि यदि उम्मीदवार शामिल होने के समय राहत (रेलीविंग) पत्र / आदेश प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii. भर्ती की प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।
- iv. किसी भी रूप में कन्वैसिंग डिस्क्वालिफिकेशन होगी।
- v. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्टेज पर उम्मीदवार द्वारा यदि गलत सूचना दी जाती है तथा अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन/ किए जाने के प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगाऔर भविष्य में उन्हें बीआईएस में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अपीयर होने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि इस प्रकार की घटना वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं पकड़ी जाती, किंतु बाद में पकड़ी जाती है तो इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन पूर्वप्रभाव से प्रभावी होगी।
- vi. यदि इस विज्ञापन के किसी संस्करण में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के संस्करण में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बीआईएस की वेबसाइट पर दिया गया अंग्रेजी संस्करण लागू माना जाएगा।
- vii. बाहर से बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा के प्रमाण (रेल/बस टिकट)देने पर सबसे छोटे रूट से आने ओर जाने का रेलवे द्वितीय श्रेणी का किराया/ बस का किराया अथवा वास्तव में किया गया खर्च, जो भी कम हो, दिया जाएगा। यह छूट उन उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी जो केन्द्रराज्य सरकार/, निगम, सार्वजनिक उपक्रमस्थानीय सरकार/, संस्थान तथा पंचायत में पहले से ही सेवारत् हैं।
- viii. बीआईएस किसी अनधिकृत व्यक्ति, संस्था द्वारा दिए गए किसी आवेदन गलत सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/ उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदनों के विवरणों का किसी से सांझा न करें।
- ix. उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से फिट होने और बीआईएस में लागू आचरण नियमों के अधीन है। बीआईएस का निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
 - x. बीआईएस कारण बताकर या बिना कोई कारण बताए किसी भी मानदंड, चयन पद्धित तथा नियुक्ति को बदलने (रद्द करने , संशोधित करने , जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रपत्र क

अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले/ उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीश्रीमती/कुमारी/*
सुपुत्रसुपुत्री/*गॉव/नगर
-
जिलामंडल/*राज्य/संघ शासित क्षेत्र
जातिजनजाति/* से संबंध रखता है, जो कि निम्न रूप से
अनुसूचित जाति: अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है/
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,1950 ;
*संविधान अन)ुसूचित जाति(संघ शासित क्षेत्र) आदेश (,1951 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश,1951 ;
[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश),1956 ; बम्बई पुनर्गठन
अधिनियम,1960 ; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966 ; हिमाचल प्रदेश अधिनियम,1970 ;
उत्तरपूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम-,1971 ; संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (संशोधन) अधिनियम,1976 , मिजोरम राज्य अधिनियम,1986 , अरूणाचल प्रदेश
राज्य अधिनियम,एवं गोवा 1986 , दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, के अनुसार 1987
यथा संशोधित]
*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956 ;
*संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहअनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (, अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम,द्वारा यथा संशोधित 1976 ;
*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962 ;
*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962 ;
*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964 ;
*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश,1967 ;
*संविधान गोवा), दमन और दीवअनुसूचित जाति आदेश (,1968 ;
*संविधान गोवा), दमन और दीवअनुसूचित जनजाति आदेश (,1968 ;
*संविधान (नागालैंड) अनसचित जनजाति आदेश,1970 :

*सविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978 ;
*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978 ;
*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989 ;
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम,1991 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996 ;
*अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 ;
*संविधान अन्)सूचित जातिआदेश (संशोधन) अधिनियम (,2002 ;
*संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 ;
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम,2002 ;
#2. एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे में प्रवासकरने वालेअनुसूचित/
जातिअनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लाग्।/
यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति काप्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर इन्हें जारी/
किया जाता है
श्रीश्रीमती/कुमारीके माता/पिता/,
श्रीश्रीमती/कुमारीगांव/कस्बेजिला/ मण्डलराज्य/संघ/
क्षेत्र जोकि जाति/ जनजाति के है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति की मान्यता प्राप्त हैराज्य/संघ राज्य में है
जिसे(प्राधिकारी का ना) ने सं दिनांक के द्वारा जारी
श्री*श्रीमती/कुमारी/ जिनका परिवार आमतौर
पर*गांव/कस्बाजिला संभाग*राज्य/संघ राज्य में/
हस्ताक्षर
पदनाम
मुहर कार्यालय राज्य/संघक्षेत्र
की
दिनांकः
म्थानः

नोटः यहां प्रयुक्त निबंधन "आमतौर पर रहना" का वही अर्थ होगा जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ,1950 की धारा 20में है।

---जो लागु नही हैं उन शब्दों को हटा दें।# जो पैरा लागू नही है उसे भी हटा दें।

जाति जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियोंकी सूची/

- 1.जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट/कॉलेटर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल/ डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुकमजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक/ आयुक्त
- 2.चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी/ मजिस्ट्रेट
- 3.राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।
- 4.उस क्षेत्र का उप मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और अथवा-अपने परिवार के साथ सामान्यत: निवास करता हो

प्रपत्र ख

अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा उनके दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
श्रीजिला/मण्डलग्राम/नगरजिला/मण्डल
राज्य/संघ राज्य के समुदाय के व्यक्ति हैं जोकि सामाजिक
न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के संकल्प सं दिनांक के तहत पिछड़ी
जाति के लिए मान्यता प्राप्त हैं:
श्री/श्रीमती/कुमारीतथा/अथवा उनका परिवार राज्य के
जिला/मण्डलराज्य/संघ राज्य में सामान्य रुप से रहता
है।यह भी प्रमाणित किया जाता है किवह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-1993*** की अनुसूची के
कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गीं (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।
जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त इत्यादि
दिनांकः
मुहरः
*प्रमाण पत्र जारी कर रहे प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना- होगा जिसमें कि उम्मीदवार की अन्य पिछडा वर्ग में उल्लिखित है।
** समयसमय पर यथासंशोधित-। जो लागु न हो उसे काट दें।
नोटः "सामान्यरुप से रहता है"का वही अर्थ होगा जोकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के

खंड 20 में है।

प्रपत्र ग

ओबीसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा का फार्म (समुदाय प्रमाण पत्र के
अतिरिक्त)
मैंपुत्र/पुत्रीगांव/कस्बा/शहरजिलाराज्यएतद्द्वारा
घोषित करता हूं कि मैंसमुदाय से संबंधित हूं जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्थापना(एससीटी)दिनांक 8.9.1993 के अनुसार सेवाओं
में आरक्षण के उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त दिए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक
8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 9 मार्च 2004
और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 14 अक्तूबर 2008 की
अनुसूची के कॉलम 3 में दर्शाई व्यक्तियों/वर्ग(क्रिमीलेयर) से संबंधित नहीं हूं।
हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

प्रपत्र घ

आर्थिक पिछडा वर्ग के द्वारा जमा कराया जाने वाला आय एवं संपत्ति का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाण-पत्र सं.		दिनांकः		
वर्ष के लि	ाए वैध			
यह प्रमाणित किया जाता है	कि			
श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पुत्री/पत्नीस्थार	गे निवासी		
गावं/गलीपोस्ट ऑ	फिसजिलाराज्य/संघ राज्	ज्यपिन		
कोडजिनका प	गेटोग्राफ नीचे सत्यापित किया गया है वे आर्थिव	_ह पिछडा वर्ग से		
है चूंकि उनके परिवार की स	कल वार्षिक आय वित्त वर्ष में 8 ल	गख से कम है ।		
	में से कोई संपत्ति नही है***			
I. 5 एकड या उससे	च्यादा कृषि भूमि ।			
	ा 1000 का आवासीय फ्लैट।			
III. अधिसूचित नगरप	अधिसूचित नगरपालिकाओं में गज या उससे बडा आवासीय प्लॉट। 100			
IV. अधिसूचित नगरप	गिलिकाओं में में गज या उससे बडा आवासीय प्ल	<u> </u>		
2 • 1 1/• 11 1 1/ 11				
	ऐसी जाति से है जिसे अनुसूचित जाती, अनुर 	नूषित जनजाता		
आर अन्य 1पछडा वग क रूप	म में मान्यता नही है (केंद्रीय सूची)।			
	कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर			
	नाम			
	पदनाम			

आवेदक की सत्यापित नवीनतम फोटोग्राफ

- *नोट 1 सभी स्रोतों से आय अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि.
- **नोट 2 निबंधन "परिवार" में वह व्यक्ति जोकि लाभार्थी है वह स्वंय, उसके माता पिता और 18 वर्ष से कम के भाई-बहन उसके अपने पित/पित्न और 18 वर्ष से कम के बच्चे शामिल है।
- *** नोट 3:ईडब्लूएस दर्जे के निर्धारण के लिए होने वाले कुल भूमि या संपत्ति परीक्षण के लिए एक परिवार के विभिन्न स्थानों /शहरों की संपत्ति को जोड़ा गया है।



BUREAU OF INDIAN STANDARDS Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

(Department of Consumer Affairs), Govt. of India Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002



Advertisement No.- 02 (ScB)/2024/HRD

Bureau of Indian Standards (BIS), a statutory body under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India, is the National Standards Body of India and is responsible for activities in the field of Standardization, Product and System Certification, Hallmarking of Gold/Silver Jewellery, Laboratory Testing etc., in the country. BIS is also responsible for Standardization and Certification at the International level.

BIS offers excellent career opportunities to bright, young dynamic persons for the post of Scientist-'B' in the specified disciplines and categories. These posts are in the Pay Level 10 as per the Seventh Central Pay Commission plus allowances as applicable. The gross emoluments at the time of joining will be approximately ₹1,11,780/- at Delhi at present. For important Service Conditions refer to **Annex 1**.

1. **No. of Posts:** The total number of vacancies is **15** in various disciplines as per details given below:

Discipline	Number of Vacancies (including backlog vacancies)						Horizontal Reservation for Person with Benchmark Disabilities (including backlog vacancies)
	Total	UR	OBC	SC	ST	EWS	
Chemistry	02	01	01	ı	i	-	-
Civil Engineering	06	02	02	01	ı	01	01 ID&MI/MD*
Electrical Engineering	07	02	02	02	-	01	01 ID&MI/MD
Total	15	05	05	03	-	02	02

^{*}Horizontal reservation has been fixed for ID&MI/MD category. However, in case suitable candidate in ID&MI/MD category is not available, seats will be filled by interchange among the VI/HI categories of disabilities.

Abbreviations:

UR – Unreserved; OBC – Other Backward Classes; SC – Scheduled Caste; ST – Scheduled Tribes; EWS – Economically Weaker Sections; PwBD – Persons with Benchmark Disability; ID&MI – Autism/Intellectual disability/ Specific Learning disability/ Mental Illness; MD – Multiple Disability; VI – Visually Impairment; HI – Hearing Impairment

For further details regarding all reservations, refer to Annex 2.

2. <u>ESSENTIAL QUALIFICATIONS</u>:

Discipline	Required Essential Qualification	Corresponding GATE Paper and its Code
Civil Engineering Electrical Engineering	 Bachelor's Degree in Engineering or Technology or equivalent with not less than sixty per cent marks in aggregate [fifty per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes] Having valid GATE* score of 2022/2023/2024. The GATE score must be valid as on 16.08.2024 (closing date of application). 	Civil Engineering (CE) Electrical Engineering (EE)
Chemistry	 Master's Degree in Natural Sciences or equivalent [in Chemistry discipline only] with not less than sixty per cent marks in aggregate [fifty per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes]. Having valid GATE* score of 2022/2023/2024. The GATE score must be valid as on 16.08.2024 (closing date of application). 	Chemistry (CY)

^{*}GATE- Graduate Aptitude Test in Engineering For important information relating to Essential Qualification, refer to Annex 3.

3. AGE LIMIT: The maximum age limit for the eligibility of the candidates is 30 years as on closing date of application. i.e, as on **16.08.2024.**

Relaxation in upper age limit for SC/ST/OBC/ Persons with Benchmark Disabilities/Ex-Servicemen shall be as notified by Central Government, from time to time.

The Relaxation in upper age limit for SC/ST candidates shall be 5 years; for OBC candidates shall be 3 years; for Persons with Benchmark Disabilities (UR) candidates shall be 10 years; for Persons with Benchmark Disabilities (SC/ST) candidates shall be 15 years; for Persons with Benchmark Disabilities (OBC) candidates shall be 13 years. The upper age limit for Departmental candidates serving in BIS and meeting requisite essential qualifications is 50 years.

Age relaxation for Ex-Servicemen

(i) upto a maximum of three years (eight years for SC/ST) in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

- (ii) upto a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on **16.08.2024** and have been released;
- (a) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or
- (b) on account of physical disability attributable to Military Service, or
- (c) on invalidment.
- (iii) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years Military Service as on **16.08.2024** and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Note I: The term Ex-Servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-Servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note II: The age concession under para (ii) & (iii) above will not be admissible to Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who are released on own request.

Note III: Candidates seeking age relaxation will be required to submit copies of necessary certificate(s) at the time of Online Application, Interview and at any subsequent stage of the recruitment process as required by BIS.

- **4. SELECTION PROCEDURE:** The selection methodology will comprise of following stages:
 - a) Short-listing based on GATE 2022 or GATE 2023 or GATE 2024 Score: The short-listing of candidates for Personal Interview will be based on the valid score of GATE 2022 or GATE 2023 or GATE 2024, as may be applicable. Short-listing of candidates for Personal Interview will be done in order of merit of valid GATE Scores. In case of tie, among two or more candidates having same GATE score, seniority in the merit will be decided based on following criteria:
 - (i) Candidate having higher Percentile will be given seniority in merit. Percentile will be calculated by following formula:
 - Percentile = (Number of Candidates appeared in concerned GATE paper All India Rank of Candidate in the concerned GATE paper)/ Number of Candidates appeared in concerned GATE paper.
 - (ii) In case of further tie in Percentile, seniority in merit will be based on age of candidates and the candidate being elder in age will be given higher seniority.
 - b) **Personal Interview:** Only the shortlisted candidates will be called for Personal Interview. The ratio of number of candidates to be called for interview to the number of vacancies in

the concerned discipline & category will be as given in the BIS (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations - 2019. The candidates will be allowed to take part in the Personal Interview process only after successful completion of the Document Verification process. The date, time and venue of interview will be intimated by e-mail. The same will also be hosted on our website: **www.bis.gov.in**.

- c) **Final merit list:** Candidates shall be selected discipline wise on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained by giving eighty-five percent (85%) weightage to GATE Score and 15 percent (15%) weightage to the marks obtained in interview. In case a tie occurs in the aggregate marks obtained after interview (GATE Score + Interview Marks), the seniority of candidate will be based on the following criteria:
 - i)The tie may be resolved based on GATE Score with the candidate obtaining higher score given higher seniority in the merit list.
 - ii)In the unlikely case of the GATE Score getting tied too, based on age criteria, the applicant elder in age will be given higher seniority in the merit list.
- 5. <u>HOW TO APPLY</u>: Candidates are required to apply On-Line from 27.07.2024 till 16.08.2024 through BIS website <u>www.bis.gov.in</u>. No other means/mode of submission of applications will be accepted under any circumstances. For further details, refer to **Annex 4.**
- **6. PAYMENT OF APPLICATION FEES:** There is NO Application Fees.
- 7. **IMPORTANT INSTRUCTIONS:** Refer **Annex 5** for details.

ANNOUNCEMENTS: All further announcements/ details pertaining to this process will only be published/ provided on BIS website www.bis.gov.in from time to time. Candidates are advised to regularly keep in touch with the BIS website www.bis.gov.in for details and updates.

Head (HRD)

New Delhi

Date: 27.07.2024

ANNEX 1

IMPORTANT SERVICE CONDITIONS

- (i) **SURETY BOND:** A candidate, on appointment to the post of Scientist- B, shall furnish a surety bond in the form specified by the Bureau, for serving the Bureau for a minimum period of three years. If he/she decides to leave the service either by resignation or absence from service without permission earlier than three years from the date of employment, he/she shall be required to reimburse the Bureau six months' emoluments at the rate last drawn by him unless he/she has worked for a shorter period in which case he/she shall be required to reimburse the full amount drawn by him/her.
- (ii) **PROBATION:** 2 Years.
- (iii) **SERVICE BENEFITS:** Leave/LTC/Medical benefits are admissible including Leave encashment for 15 days in a year as per BIS guidelines/Central government rules.
- (iv) **POSTING:** Anywhere in India.
- (v) **CAREER PROSPECTS:** Scientific Cadre Officers of this Organization are presently covered under the 'Modified Flexible Complementing Scheme' as amended from time to time and applicable to various Scientific Organizations with promotions based on performance and assessment or as applicable from time to time. For further details, please refer Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2019.

ANNEX 2

GENERAL INSTRUCTIONS REGARDING RESERVATION

- **A) Definition of Persons with Benchmark Disabilities:** The "person with benchmark disability" means a person with not less than forty per cent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.
- B) Accordingly, candidates with the following disabilities are eligible to apply:
 - (i) Blindness and low vision
 - (ii) Deaf and hard of hearing
 - (iii) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy
 - (iv) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness
 - (v) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) above including deaf-blindness
- C) Candidates claiming benefits as persons with Benchmark disabilities shall produce certificate, in original, as per the 'The Rights of Person with Disability Rules, 2017' issued on or before the last date of online submission of application in the prescribed format in support of their claim at the time of Interview/at any stage of the process.
- D) Persons with Benchmark Disabilities may have to work in any Regional Office/ Branch Office as per requirement.
- E) **Economically Weaker Sections (EWS)**: The reservation and applicable criteria for Economically Weaker Sections (EWS) shall be as per Office Memorandum No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019 of Department of Personnel and Training, Government of India.
- F) The Competent Authority for the issue of the certificate to Scheduled Castes (SC) / Scheduled Tribes (ST) / Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) is as under (as notified by Government of India from time to time):
- i) District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / First Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate (not below of the rank of First Class Stipendiary Magistrate) / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate (iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar
- (iv) Sub-divisional officer of the Area where the candidate and or his family normally resides.

The format of certificate to be produced by a Candidate belonging to scheduled caste or Scheduled tribe in support of his / her claim shall be as per **FORM A** and the format of certificate to be produced by a Candidate belonging to Other Backward Classes in support of his / her claim shall be as per **FORM B** and **FORM C**. The format of certificate to be produced by a Candidate

belonging to Economically Weaker Sections shall be as per **FORM D.** The candidates belonging to these categories are required to upload the scanned copy of certificate, strictly in these formats only, at time of online application and also produce the original copy of certificates, strictly in these formats only, at the time of interview.

- G) The Competent Authority for the issue of the certificate to Persons with Benchmark Disabilities (as notified by Government of India from time to time): The authorized certifying authority would be in accordance with "The Rights of Person with Disabilities Rules, 2017":
- (i) a medical authority or any other notified competent authority to issue such a certificate in the district of residence of the applicant as mentioned in the proof of residence in the application; or (i) the concerned medical authority in a government hospital where he may be undergoing or may have undergone treatment in connection with his disability:

The format of certificate of disability will be as per applicable Form (s) appended to "The Rights of Person with Disabilities Rules, 2017".

H) The candidates belonging to any of the above mentioned categories are required to upload the scanned copy of certificate, strictly in the specified formats only, at time of online application and also produce the original copy of certificates at the time of interview.

ANNEX 3

GENERAL INSTRUCTIONS REGARDING ESSENTIAL QUALIFICATIONS

a) The details relating to corresponding GATE Paper and guidelines regarding Essential Qualification of Bachelor's Degree in Engineering or Technology or equivalent are given below:

Discipline	Corresponding GATE Paper	Guidelines relating Degree of Essential Qualification
in which vacancy is	and its Code	
advertised		
Civil Engineering	Civil Engineering (CE)	The Degree of Essential Qualification must be in "Civil" Engineering/Technology.
		In case of dual specialization/ qualification, "Civil" Engineering/Technology must be appearing as major specialization in the Degree of essential qualification.
Electrical Engineering	Electrical Engineering (EE)	The Degree of Essential Qualification must be in "Electrical" Engineering/Technology.
		In case of dual specialization/ qualification, "Electrical" Engineering/Technology must be appearing as major specialization in the Degree of essential qualification.
Chemistry	Chemistry (CY)	Master's Degree in Natural Sciences or equivalent [in Chemistry discipline only]
		In case of dual specialization/ qualification, "Chemistry" must be appearing as major specialization in the Degree of essential qualification).

- b) In case the candidates are obtaining grades in the final Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Equivalent, their grades should be equivalent to the required percentage [i.e. 60% marks in aggregate (50% for SC/ST candidates)].
- c) Candidate should indicate the percentage obtained in Graduation calculated to the nearest two decimals in the online application. Where CGPA / OGPA/ CPI is awarded, the same should be converted into percentage and indicated in the application form. The Conversion Formula is to be uploaded in the online application in such cases. It shall be the responsibility of the candidate to produce conversion formula to percentage duly issued by concerned University/ Institute at the time of Interview, failing which the candidature is liable to be rejected.
- d) Calculation of Percentage: The percentage marks shall be arrived at by dividing the marks obtained by the candidate in all the subjects in all semester(s)/year(s) by aggregate maximum marks in all the subjects irrespective of honours / optional / additional optional subject, if any. This will be applicable for those Universities also where Class / Grade is

- decided on basis of Honours marks only. The fraction of percentage so arrived will be ignored i.e. 59.99% will be treated as less than 60% and 49.99% will be treated as less than 50%.
- e) Departmental candidates serving in BIS who fulfill the eligibility criteria will not require separate permission and can apply directly.
- f) All the educational qualifications should be from University/ Institution/ Board recognized by Govt. of India/ approved by Govt. Regulatory Bodies and the result should have been declared on or before **16.08.2024** (closing date of application). The date of passing the examination which is reckoned for eligibility will be the date of passing appearing on the marksheet/ Provisional certificate.
- g) Multiple applications may lead to rejection.

Annex 4

HOW TO APPLY

DETAILED GUIDELINES/PROCEDURES FOR

- A. Applicant's registration
- B. Application form fill up including uploading of documents/ certificates/ gate score card/ signature /photo etc.
- C. Preview of filled application form Declaration and final submission of application.

Candidates can apply online only from **1100h on 27.07.2024 till 2359h on 16.08.2024**. No other mode of application will be accepted.

IMPORTANT POINTS TO BE NOTED BEFORE REGISTRATION

Before applying online, candidates should:

- i. Scan their photograph and signature ensuring that both the photograph and signature adhere to the required specifications.
- ii. Scan the following certificates/ documents: Date of Birth Certificate, GATE Scorecard, Identity Proof, Degree and Marksheet of Essential Qualification, Degree & Marksheet of Higher/ Additional Qualifications (if any), Conversion Formula (if applicable), Category Certificate (if applicable).
- iii. Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this Recruitment Process. BIS will send Interview call letters etc. through the registered e-mail ID.

1. Application Procedure (Read all Instructions Carefully)

A. Applicant's registration

- Candidates are required to visit the BIS website <u>www.bis.gov.in</u> and go to 'Career Opportunities'. Under the 'Recruitment Advt./Result' section, advertisement for the recruitment of Scientist-B is available with the heading 'Recruitment To The Post of Scientist-B'. Candidates can apply online by clicking on the 'Link for Online Application by Candidates' option, which will open a new screen.
- 2. To register application (New Candidate), choose the tab" Create Your BIS Account" and enter Name, Contact details and Email id etc. An Application Number will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the Application Number. An Email & SMS indicating the Provisional Registration number will also be sent.
- 3. Candidates, who are already registered can login by entering their Email ID/User ID/Mobile Number & Password and start filling out the application form.

B. Application form fill up including uploading of documents/ certificates/ gate score card/ signature /photo etc.

- 1. All details in the application form should be filled carefully by the candidate.
- 2. In case the candidate is unable to complete the application form in one go, he / she can save the data already entered by choosing "SAVE AND CONTINUE" tab.
- 3. The Name of the candidate and his /her Father/ Mother etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the Certificates/ Identity proof/ Mark sheets. Any change/alteration found may disqualify the candidature. The candidate may note that the fields required to be filled in Hindi language accepts phonetic input.
- 4. Candidates can proceed to fill other details of the Application Form.
- 5. Candidates can proceed to upload Photo, Signature, Date of Birth Document, GATE Scorecard, Identity Proof, Degree and Marksheet of Essential Qualification, Degree & Marksheet of Higher/ Additional Qualifications (if any), Category Certificate (if applicable), Conversion Formula (if applicable).
- 6. One of the following documents/ IDs is acceptable for identity verification of candidate: Aadhar Card/ Passport/ PAN Card/ Driving License/ Voter's Card/ Bank Passbook with Photograph/ Valid University or College Identity Card/ Employee Identity Card of Government or Public Sector Organization.

C. Preview of filled application form Declaration and final submission of application

- 1. Click on the Preview Tab to preview and verify the entire application form before final submission.
- 2. Modify details, if required, and check the declaration. **FINAL SUBMIT** only after verifying and ensuring that the photograph, signature uploaded and other details filled by you are correct.
- 3. Candidates are advised to carefully fill and verify the details filled in the online application themselves as no change will be possible/ entertained after the final submission.

2. <u>GUIDELINES FOR SCANNING &UPLOAD OF PHOTOGRAPH, SIGNATURE & DOCUMENTS</u>

PHOTOGRAPH IMAGE:

- a. Photograph must be a recent passport size coloured picture.
- b. The picture should be in colour, against a light-coloured, preferably white, background.
- c. Look straight at the camera with a relaxed face.
- d. If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the shade, so that you are not squinting and there are no harsh shadows.
- e. If you have to use flash, ensure there's no "red-eye".
- f. If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen.
- g. Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but it must not cover your face.
- h. Ensure that the size of the scanned image is not more than 200KB.

- i. If the photo is not uploaded at the place of Photo Candidate him/herself will be responsible for the same.
- j. Candidate must ensure that Photo to be uploaded is of required size and the face should be clearly visible.

SIGNATURE IMAGE:

- a. The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.
- b. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- c. The Applicant's signature on attendance sheet at the time of the interview should match the uploaded signature. In case of mismatch, the candidate may be disqualified.
- d. Ensure that the size of the scanned image is not more than 200KB.
- e. Candidates should ensure that the signature image uploaded is clearly visible.

OTHER DOCUMENTS

- a. Ensure that the size of the scanned image is not more than 1 MB.
- b. Candidates should ensure that the document(s) uploaded are clearly visible.

Procedure for Uploading the Photograph, Signature & Documents

- a. There will be separate links for uploading Photograph, Signature, Date of Birth Certificate, GATE Scorecard, Essential Qualification Degree/ Provisional Certificate & consolidated marksheet, Higher/ Additional qualification Degree/ Provisional Certificate & consolidated marksheet (if any), Category Certificate (if applicable) and Identity Proof.
- b. Click on the respective link "Upload".
- c. Browse & Select the location where the Scanned Photo/ Signature/Document file has been saved.
- d. Select the file by clicking on it.
- e. Click the 'Upload' button

IN CASE ANY OF THE DOCUMENTS UPLOADED INCLUDING PHOTOGRAPH & SIGNATURE IS UNCLEAR, THE APPLICATION MAY BE REJECTED.

CANDIDATE SHOULD ALSO ENSURE THAT PHOTO IS UPLOADED AT THE PLACE OF PHOTO, SIGNATURE AT THE PLACE OF SIGNATURE AND ALL DOCUMENTS AT THEIR RESPECTIVE PLACES AS APPEARING IN APPLICATION. IF PHOTO/ SIGNATURE/ GATE SCORECARD/ EDUCTIONAL CERTIFICATES/ DATE OF BIRTH CERTIFICATE/ IDENTITY PROOF IS NOT UPLOADED PROPERLY, CANDIDATATURE IS LIABLE TO BE CANCELLED.

Annex 5

OTHER IMPORTANT INSTRUCTIONS

- i. The applicant must be Citizen of India.
- ii. The candidates presently employed with Central Government / State Government / Quasi Government Offices / Public Sector Undertakings will be required to produce No Objection Certificate (NOC) from their employer at the time of interview. However, if the NOC could not be produced at the time of interview, an undertaking for the same shall be submitted mentioning that incase the candidate is not able to produce relieving letter/order at the time of joining, the candidature of the candidate will be cancelled.
- iii. Any resulting dispute arising out of this advertisement including the recruitment process shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Delhi.
- iv. Canvassing in any form will be a disqualification.
- v. Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead of disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any recruitment process of BIS in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect.
- vi. In case any dispute arises on account of interpretation of clause(s) in any version of this advertisement other than English, the English version available on BIS website shall prevail.
- vii. Outstation candidates called for interview will be paid II class to & fro railway/ bus fare or actual expenses incurred, whichever is less, by shortest route on production of proof of travel (rail/ bus ticket). The above concession will not be admissible to candidates who are already in service in Central / State Government, Corporations, Public Undertakings / Local Government, Institutions and Panchayats.
- viii. BIS shall not be responsible for any application made/ wrong information provided by an unauthorized person / institution. Candidates are advised not to share their application details with anyone.
 - ix. Appointment of candidates is subject to his/her being declared medically fit, and also subject to service and conduct rules applicable to BIS. Decision of BIS will be final and binding on candidates.
 - x. BIS reserves the right to change (cancel/ modify/add) any of the criteria, method of selection and allotment with or without assigning any reason.

FORM A

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBE IN SUPPORT OF HIS / HER CLAIM.

1. This is to certify that Sri /	Smt / Kum*	
son / daughter* of		of village / town*
	in District / Division*	
Territory*	belongs to the	Caste/Tribe* which is recognized
as a Scheduled Caste/ Scheduled	l Tribe* under:	
* The Constitution (Scheduled)	Castes) Order, 1950;	
* The Constitution (Scheduled T	ribes) Order, 1950;	
* The Constitution (Scheduled C	Castes)(Union Territories)Order	rs, 1951;
* The Constitution (Scheduled T	ribes)(Union Territories)Order	, 1951;
[as amended by the Scheduled C	Castes and Scheduled Tribes list	ts (Modification Order),1956; the Bombay
Reorganisation Act, 1960; the Po	unjab Reorganisation Act 1966,	, the State of Himachal Pradesh Act, 1970,
the North-Eastern Areas (Reorg	ganisation)Act, 1971, the Cons	stitution)Scheduled Castes and Scheduled
Tribes Orders (Amendment) Ac	t,1976, the State of Mizoram A	Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh
Act, 1986 and the Goa, Daman a	and Diu (Reorganization) Act, 1	1987]:
* The Constitution (Jammu and	Kashmir) Scheduled Castes Ord	der,1956;
* The Constitution (Andaman ar	nd Nicobar Islands) Scheduled	
Tribes Order, 1959 as amended	l by the Scheduled Castes and S	Scheduled
Tribes Orders (Amendment) A	ct, 1976;	
* The Constitution (Dadra and N	Vagar Haveli) Scheduled Castes	Order, 1962;
* The Constitution (Dadra and N	Vagar Haveli) Scheduled Tribes	Order, 1962;
* The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964	·;
* The Constitution (Uttar Prades	sh) Scheduled Tribes Order,196	57;
* The Constitution (Goa, Damar	and Diu) Scheduled Castes Or	rder, 1968;
* The Constitution (Goa, Damar	and Diu) Scheduled Tribes Or	der, 1968;
* The Constitution (Nagaland) S	Scheduled Tribes Order, 1970;	
* The Constitution (Sikkim) Sch	neduled Castes Order, 1978;	
* The Constitution (Sikkim) Sch	eduled Tribes Order, 1978;	
* The Constitution (Jammu and	Kashmir) Scheduled Tribes Ord	der, 1989;
* The Constitution (Scheduled C	Castes) Orders (Amendment)Ac	et, 1990;
* The Constitution (ST) Orders	(Amendment) Ordinance, 1991	;
* The Constitution (ST) Orders	(Second Amendment) Act,1991	l ;
*The Scheduled Caste and Sche	duled Tribes Orders (Amendme	ent) Act, 2002
* The Constitution (Scheduled C	Caste) Orders (Amendment) Act	t, 2002
* The Constitution (Scheduled C	Caste and Scheduled Tribes) Ord	ders (Amendment) Act, 2002

2. Applicable in the case of Scheduled Castes / Scheduled Tribes persons, who have migrated from one State / Union Territory Administration to another.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

This certificate is issued on the ba	sis of the Scheduled Caste	es / Scheduled Tribes*	Certificate issued to
Shri / Smt / Kumari*		Father /Mo	other* of Sri / Smt /
Kumari*		of	village
townin	District/Division*	of	the State/Union
Territory*	who belo	ng to the	Caste /
Tribe* which is recognized as a issue			
authority] vide their No			
3.Shri/Smt/Kumari*			
ordinarily reside(s) in village/town			Disctict
/ Division* of the State / Union Ter	ritory* of		
		Signature	
		Designation	
Place:		[With seal of	Office]
Date :		State/Union T	Cerritory
Note: The term "Ordinarily residence Representation of the Peoples Act	, 1950.	-	
* Please delete the words # Delete the paragraph which is not	which are not applicable.		

List of authorities empowered to issue Caste / Tribe Certificates:

- District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / First Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate (not below of the rank of First Class Stipendiary Magistrate) / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner
- 2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate
- 3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar
- 4. Sub-divisional officer of the Area where the candidate and or his family normally resides.

FORM B

The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates in support of his/her claim

This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumari
Shri/Shrimati/Kumari
District Magistrate
Deputy Commissioner etc.
Dated:
Seal
*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

The term "ordinarily reside (s) used here will have the same meaning as in Section

** As amended from time to time. Strike out whichever is not applicable.

20 of the Representation of the People Act, 1950.

Form C

Form of declaration to be submitted by the OBC candidate (in addition to the community certificate)

ISon/daughter of Shriresident of
village/town/citydistrictstatehereby declare
that I belong to thecommunity which is recognized as a backward class by
the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in
Department of Personnel and Training Office Memorandum No 36102/22/93-Estt. (SCT) dated
8-9-1993. It is also declared that, I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned
in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No.
36033/3/2004-Estt. (Res) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated
14th October, 2008.
Signature
Full Name
Address

Form D

FORMAT OF INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.	No. Date:	
	VALID FOR THE YEAR	
of Village/Street. Territory Economically 8 lakh (Rupee	fy that Shri/Smt./Kumaripermanent resident ofPost OfficeDistrict Pin Codewhose photograph is Weaker Sections, since the gross annual income* of Eight Lakh only) for the financial yearthe following assets***:	f in the State/Union is attested below belongs to of his/her Ifamily** is below Rs.
I. 5 acres of ag	ricultural land and above;	
II. Residential	flat of 1000 sq. ft. and above;	
Ill. Residential	plot of 100 sq. yards and above in notified munici	palities;
IV. Residentia	l plot of 200 sq. yards and above in. areas other tha	an the notified municipalities.
	te, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (_
	Signature with seal of	of office
Recent Passport Size attested		Name
photograph of applicant	D	esignation

^{*}Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

^{**}Note 2: The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

^{***}Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

ANSWERS TO THE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS OF THE CANDIDATES

Sr.No	FAQs	Answers
1.	Where can all the details about recruitment to post of Scientist-B be seen?	For details the Advertisement please visit the BIS Website: www.bis.gov.in Candidates are advised to read the complete advertisement available on BIS Website before applying.
2.	Where can a candidate contact in case of any technical query relating to online application?	Candidates can send email at hrd.recr.scb@bis.gov.in
3.	What is the essential educational qualification required?	The required qualifications are: Bachelor's Degree in Engineering (B.E.) or Bachelor's Degree in Technology (B. Tech) or Equivalent Degree/Qualification to B.E or B.Tech (as notified by Government from time to time) Or, Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with not less than sixty per cent marks in aggregate [in Chemistry discipline only] Provided that Candidate claiming equivalence of his qualification/ Degree to Bachelor's Degree in Engineering
4.	What is the percentage of marks requirement?	or Technology will have to necessarily produce the notification issued by Appropriate Authority, in support of his/ her claim of equivalence, at the time of interview failing which the candidature is liable to be rejected. The qualification requirement is "Bachelor's Degree in Engineering or Technology or equivalent for applying for the post with Civil Engineering & Electrical Engineering discipline with not less than 60% marks in aggregate (50% for
		Scheduled Castes and Scheduled Tribes) and for the post with Chemistry discipline, Master's Degree in Natural Sciences or equivalent [in Chemistry discipline only] with not less than sixty per cent marks in aggregate (50% for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)
5.	Can candidates with 59.9 % marks in aggregate (49.9% marks for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in Bachelor's degree in Engineering or Technology or equivalent degree apply?	No, the fraction of percentage will be ignored i.e. 59.99% will be treated as less than 60% and 49.99% will be treated as less than 50%.

S.No.	FAQs	Answer
6.	Can a student in final year of essential qualification degree apply?	No, the result should have been declared on or before 16 th August 2024.
7.	I have qualified GATE in year 2021. Am I eligible for the post?	No, the GATE Score must be valid as on 16 th August 2024 . Only GATE 2022, 2023 & 2024 will be considered for the recruitment process.
8.	I have degree in Environment Engineering and have qualified GATE Paper in Civil Engineering. Can I apply against Civil Engineering discipline?	No, the applicant must have valid GATE Score in the corresponding GATE Paper to the Discipline in which post is advertised. The corresponding GATE Paper and its Code against each Discipline Advertised in the Detailed Advertisement available on BIS Website.
9.	What is the age limit and what is the cut-off date for age limit?	The upper age limit is 30 years as on 16 th August 2024.
10.	What relaxations in upper age limit are applicable and to which category of candidates?	Relaxation in upper age limit is applicable for following categories: a) Scheduled Castes b) Scheduled Tribes c) Other Backward Classes (non creamy layer) d) Person with Benchmark Disabilities e) Ex-Servicemen f) Departmental Candidates of BIS For further details, please refer to the detailed
11.	Is relaxation in upper age limit applicable to person presently employed with Central Government / State Government / Quasi Government Offices / Public Sector Undertakings?	Advertisement available on BIS Website: www.bis.gov.in No, there is no relaxation in upper age limit in such cases.
12.	Can a candidate who is crossing upper age limit but having work experience apply?	No, the candidates shall be within prescribed age limits.
13.	Will the candidates presently employed with Central Government / State Government / Quasi Government Offices / Public Sector Undertakings required to produce No Objection Certificate (NOC) from their employer at the time of interview?	Yes, the candidates presently employed with Central Government / State Government / Quasi Government Offices / Public Sector Undertakings shall be required to produce NOC at the time of interview. However, if the NOC could not be produced at the time of interview, an undertaking for the same shall be submitted mentioning that incase the candidate is not able to produce relieving letter/order at the time of joining, the candidature of the candidate will be cancelled.

S.No.	FAQs	Answer
14.	What are the documents one can upload as a proof for Date of Birth (D.O.B)?	Certificate of Matriculation indicating D.O.B or Birth Certificate issued by authorized Govt. body like Municipal Corporation/Municipal Council.
15.	I am not able to sign-in in to the recruitment portal/ The portal logs me out when I try to login to fill the application form.	You should restart your computer system, or, you should use a different web browser/ Incognito mode for filling the application form.